



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14946

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या- 672/2026

अशोक कुमार

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : जय प्रकाश राय, ओम प्रकाश

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जय प्रकाश राय और प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के.
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह सी.आई.एस.एफ. उनका वेतन 44,900 रुपये था, हालांकि, अब इसे घटाकर 42,300 रुपये कर दिया गया है।
3. प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान डी.एस.जी.आई. श्री एस.के. पाल ने प्रस्तुत किया कि यदि रिट याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 से संपर्क करता है, तो पुनः निर्धारण का अभ्यास किया जाएगा।
4. बार में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने का निर्देश देने के लिए किया जाता है, जो उक्त प्रस्ताव पर दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के दावे पर सख्ती से विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा, आदेश की प्रमाणित प्रति के उत्पादन की तारीख से।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!